आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

08.01.2021

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–27/2020

नारायण महतो –बनाम– **भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य**

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–लोहपिट्टी, थाना नं0–**319**, खाता नं0–**117**, प्लॉट नं0–**3110**, रकवा–**0.2998 एकड़** भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–32 के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि :– बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–लोहपिट्टी, थाना नं0–**319**, खाता नं0–**117**, प्लॉट नं0–**3110**, रकवा–**0.2998 एकड़** में भुगतान पूर्व निर्धारित दर 2014–15 में होना था, उस समय जमीन का दर 14244.00 रू0 प्रति डी0 था। अभि जमीन का दर 24,000.00 रू0 प्रति डी0 सरकार बढा चुकी है। इस प्लॉट में कुल रकवा–48 डी0 अधिग्रहण हो रहा है। जिसमें से 18 डी0 भूमि का भुगतान नये दर से करने का अनुरोध किया गया है। एवं 0.2998 एकड़ भूमि का भुगतान पुराना दर से किया गया है। आवेदक द्वारा साक्ष्य के रूप में न्यूनतम निबंधन दर तालिका की प्रति संलग्न किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1070**/भू0अ0, दिनांक–**10.09.2020** के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि कृषि भूमि है। जिसका दर **13,56,600.00** रू0 प्रति एकड की दर से निर्धारित की गई है। भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। उक्त भूमि पर

Scanned with CamScanner

संरचना अवस्थित नहीं है।

अंचल अधिकारी बाघमारा का पत्रांक 1069, दिनांक 30.12.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व आंशिक भाग में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अवस्थित था। वर्तमान में उक्त भूमि पर सड़क बनी हुई है। हाल सर्वे खतियान के अनुसार किस्म कनाली दर्ज है।

अतः पक्षों को सुनने एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक 1070/भू0अ0, दिनांक 10.09.2020 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि पर संरचना अवस्थित नहीं है। भूमि कृषि भूमि है, जिसका मुआवजा राशि आवेदक को भुगतान किया जा चुका है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुआवजा राशि का भुगतान कम किया गया है। NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद को **अस्वीकृत** किया जाता है। तदनुसार वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि आवेदक/NHAI एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को दें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

Scanned with CamScanner